प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाफर अली पुत्र श्री जमील अहमद निवासी जनपद-इटावा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7999/प्रोबे0अनु0(2)-2/सला0समिति/ (एम 26-02-2020) दिनांक रहित पत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाफर अली पुत्र श्री जमील अहमद, 77 पुरोहितन टोला, थाना-कोतवाली, जनपद-इटावा का निवासी है। दिनांक 27.07.2002 को पत्नी के चरित्र पर शक होने के कारण पत्नी तथा 05 पुत्रियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-484/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302, 25/4 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0-01), इटावा के आदेश दिनांक 14.07.2003 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील सं0-3449/2003 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड को यथावत रखा गया तथा मा0 उचचतम न्यायलय के आदेश दिनांक 21.01.2014 द्वारा उक्त मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.11.2019 तक 17 वर्ष 03 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 08 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पत्र दिनांक 07.08.19 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया था जिसको मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टित किया गया है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय अभियुक्त की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में कोई भी अभिमत प्रदान करने में सक्षम नहीं है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 27.07.2002 को पत्नी के चरित्र पर शक होने के कारण पत्नी तथा 05 पुत्रियों की चाकू मारकर हत्या किये जाने, बन्दी की उम्र 56 वर्ष होने, अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में पुन: अपराध कारित करने, कारागार से मुक्त होने पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपराध की सम्भावना होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वरा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जाफर अली पुत्र श्री जमील अहमद को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाफर अली (बन्दी संख्या-17185) पुत्र श्री जमील अहमद निवासी जनपद-इटावा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-218/2020/428(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।